भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहारी क्रांतिकारी एवं समाचार पत्रों की भूमिका।

सुशील कुमार[1] प्रो0 (डॉ0) राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव[2]

(1) शोधार्थी, इतिहास विभाग जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा सारण, बिहार,

(2) (सेवानिवृत) प्राचार्य (इतिहास विभाग) एच0 आर0 कॉलेज, अमनौर, सारण बिहार।

सारांश

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रथम बिहार क्रांतिकारियों का नाम प्रमुख रूप से मोहम्मद युनुस, जयप्रकाश नारायण, बसावन सिंह, रामवृक्ष वेनीपुरी, डॉ0 लोहिया, बाबू श्याम नन्दन, कार्तिक प्र0 सिंह, सरदार नित्यानन्द सिंह, उमाकान्त प्र0 सिंह, रामानंद सिंह, सतीश प्र0 झा, जगपति कु0, देवीपद चौधरी, राजेन्द्र सिंह, तथा राय गोबिन्द सिंह का नाम बिहार के इतिहास में भारत को आजादी दिलाने में सुनहरे अक्षरों में नाम दर्ज है, उन अमर सेनानियों ने हाथों में राष्ट्रीय झंडा और होठों पर बंदे मातरम्, भारत माता की जय नारों की गुंज लिए हंसते हसंते गोलियां खाई थी। मातृ भूमि की रक्षा के लिए जान लेने वाले और जान देने वाले दोनों तरह के सेनानियों ने अंग्रेज सरकार के नाक में दम कर रखा था। साथ ही बिहारी पत्र–पत्रिकाओं का भी इस संग्राम में पूरा साथ मिला। 20 सितम्बर 1921 को सदाकत आश्रम पटना से 'मदर लैण्ड' नामक पत्र निकलना शुरू हुआ। जिसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय भावना के प्रचार–प्रसार एवं हिन्दू–मुस्लिम एकता को स्थापना करना था। पत्रकारिता भी दो विचारों में विभाजित हुई–गरमदल तथा नरमदल। गरमदल का दिशा–निर्देश 'भारत मित्र', 'अम्युदय', 'प्रताप', नृसिंह,' 'केसरी,' एवं रणभेरी आदि पत्रों ने किया तथा नरमदल का 'बिहार बंधु' 'नागरीनिरंद,' 'मतवाला।' 'हिमालय,' एवं जागरण ने किया। स्वंत्रता आन्दोलन के लिए राज नेताओं, सेनानियों को जितना संघर्ष करना पड़ा,। उससे तनिक भी कम संघर्ष पत्र एवं पत्रकारों को नहीं करना पड़ा।

भूमिका

1 अप्रैल 1933 को मोहम्मद युनुस ने अपने नेतृत्व में प्रथम भारतीय मंत्रीमण्डल बिहार में स्थापित किया गया। इसके सदस्य बहाव अली, कुमार अजिट प्रताप सिंह और गुरू सहाय लाल थें। युनुस मंत्रीमण्डल के गठन के दिन जयप्रकाश नारायण, बसावन सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी ने इसके विरूद्ध प्रदर्शन किया। फलतः गवर्नर ने वैधानिक कार्यो में गवर्नर हस्तक्षेंप नहीं करेंगी का आश्वासन दिया।

7 जुलाई 1837 को कांग्रेस कार्यकारिणी ने सरकारों के गठन का फैसला किया।

मोहम्मद युनुस के अन्तरिम सरकार के त्याग पत्र के बाद 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह ने अपने मंत्रीमण्डल का संगठन किया लेकिन 15 जनवरी 1938 को राजनितिक कैदियों के रिहाई के मुद्दे पर अपने मंत्रीमण्डल को भंग कर दिया। 19 मार्च 1938 को द्वितीय विश्व–युद्ध में बिना ऐलान के भारतीयों को शामिल किया गया जिसका पूरे देश भर में इसके विरूद्ध प्रदर्शन हुआ। 27 जून 1937 में लिनलियथगों ने आश्वासन दिया कि भारतीय मंत्रीयों के वैद्यानिक कार्यों मे हस्तक्षेप नहीं करेंगा।

आजाद दास्ता–यह भारत छोड़ो आन्दोलन के बाद क्रांन्तिकारियों द्वारा प्रथम गुप्त गतिविधियाँ थी। जयप्रकाश नारायण ने इसकी स्थापना नेपाल की तराई के जंगलों में रहकर की थी। इसके सदस्यों को छापामार युद्ध एवं विदेशी शासन को अस्त–व्यस्त एवं पंगु करने का प्रशिक्षण दिया जाने लगा।

बिहार प्रान्तीय आजाद दस्ते को नेतृत्व सूरज नारायण सिंह के अधीन था, परन्तु भारत सरकार के दबाव में मई, 1943 में जयप्रकाश नारायण, डॉ0 लोहिया, रामवृक्ष बेनीपुरी, बाबू श्यामनन्दन, कार्त्तिक प्रसाद सिंह इत्यादि नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और हनुमान नगर जेल में डाल दिया गया। आजाद दास्ता के निर्देशक सरदार नित्यानंद सिंह थें। मार्च 1943 में राजविलास में प्रथम गुरिल्ला प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की गई।

सियाराम–ब्रह्मचारीदल–बिहार में गुप्त क्रांन्तिकारी आन्दोलन का नेतृत्व सियाराम–ब्रह्मचारी दल ने स्थापित किया थां इसके क्रांन्तिकारी दल के कार्यक्रम की चार बातें मुख्य थी–धन संचय, शस्त्र संचय, शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण तथा सरकार का प्रतिरोध करने के लिए जन–संगठन बनाना। सियाराम ब्रह्मचारी दल प्रभाव भागलपुर, मुंगेर, किशनगंज, बलिया, पूर्णिया, सुल्तानगंज आदि जिलों में था। सियाराम सिंह सुल्तानगंज के तिलकपुर गाँव के निवासी थें और ब्रह्मचारी थाना बिहपुर के नन्हकार गाँव के रहने वाले, इन्ही दोनों के नाम पर क्रांतिकारी दस्ते का नामकरण हुआ।

तारापुर गोलीकांड–मुंगेर जिले के तारापुर थाना में तिरंगा फहराते हुए 60 क्रांतिकारी शहीद हुए थें। 15 जनवरी 1932 की दोपहर सैकड़ो आजादी के दीवाने मुंगेर जिला के तारापुर थाना पर तिरंगा फहराने निकल पड़े। उन अमर सेनानियों ने हाथों में राष्ट्रीय झंडा और होठों पर बंदे मातरम्, भारत माता की जय, नारों की गुंज लिए हंसते–हंसते गोलियाँ खाई थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे बड़े गोलीकांड में देश भक्त पहले से लाठी–गोली खाने को तैयार होकर घर से निकले थे। 50 से अधिक सपूतों की शहादत के बाद स्थानीय थाना भवन पर तिरंगा लहराया।

आजादी मिलने के बाद से हर साल 15 फरवरी को स्थानीय जागरूक नागरिकों के द्वारा तारापुर दिवस मनाया जाता है। जालिया वाला बाग से भी बड़ी घटना थी तारापुर गोलीकांड। सैकड़ो लोगो ने धावक दल को अंग्रेजो के थानों पर झंडा फहराने का जिम्मा

दिया था और उनका और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए जनता खड़ी होकर भारत माता की जय, बंदे मातरम् आदि का जयघोष कर रहे थें। भारत माँ के वीर बेटों के उपर अंग्रेजो के कलक्टर ई ओली एवं एसपी डब्ल्यू फलैग के नेतृत्व में गोलियां दागी गयी थी। गोली चल रही थी लेकिन कोई भाग नहीं रहा था लोग डटे हुए थे। इस गोलीकांड के बाद कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित कर हर साल देश मे 15 फरवरी को तारापुर दिवस मनाने का निर्णय लिया थां घटना के बाद अंग्रेजो ने शहीदों का शव वाहनों में लाद कर सुल्तानगंज की गंगा नदी मे बहा दिया था शहीद सपूतों में से केवल 13 की पहचान हो पायी थी। ज्ञात शहीदों में विश्वनाथ सिंह (छात्रहार) महिपाल सिंह (रामचुआ), शीतल (असरगंज), सुकुल सोनार (तारापुर), संता पासी (तारापुर), झोटी झा (सतखरिया), सिंहेश्वर राजहंस (बिहमा), बदरी मंडल (धनपुरा), वसंत धानुक (लौढ़िया), रामेश्वर मंडल (पड़भाड़ा) गैबी सिंह, (महेशपुर) अशर्फी मंडल (कब्टीकरी) तथा चंडी महतो (चोरगाँव) थे। 31 अज्ञात शव भी मिले थे, जिनकी पहचान नहीं हो पायी थी और कुछ तो गंगा की गोद में समा गए थें।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध आलेख विश्लेषणात्मक एवं वर्णात्मक प्रकृति का है। शोध कार्य के लिए द्वितीयक स्त्रोतो का उपयोग किया गया है। इसके लिए मुख्यतः इंटरनेट से प्राप्त सामग्रियों, प्रकाशित ग्रंथ, पत्र–पत्रिकाओं में छपे–विवरण, निबंध एवं लेख तथा विभिन्न शोध–ग्रंथों को अध्ययन का आधार बनाया गया है।

तथ्य विश्लेषण

मातृभूमि की रक्षा के लिए जान लेने वाले और जान देने वाले दोनो तरह के सेनानियों ने अंग्रेज सरकार की नाक मे दम कर रखा था। इतिहासकार डी सी डीन्कर ने अपनी किताब ''स्वतंत्रता संग्राम में अछूतों का योगदान'' में भी तारापुर की घटना का जिक्र करते हुए विशेष रूप से संता पासी के योगदान का उल्लेख किया है। पंडित नेहरू ने भी 1942 में तारापुर की एक यात्रा पर 34 शहिदों के बलिदान का उल्लेख करते हुए कहा था ''The Faces of The dead Freedom Fighters were blackened in Front of The Resident of Tarapur''.

11 ''अगस्त 1942 को सचिवालय गोलीकांड बिहार के इतिहास वरन् भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन का एक अविस्मरणीय दिन था। पटना के जिलाधिकारी डब्ल्यू0जी, आर्थर के आदेश पर पुलिस ने गोलियाँ चलाने का आदेश दे दिया। पुलिस ने 13 या 14 राउण्ड गोलियाँ चलाई, इस गोलीकांड में सात छात्र शहीद हुए, लगभग 25 गंभीर रूप से घायल हुए। 11 अगस्त 1942 के सचिवालय गोलीकाण्ड ने बिहार में आन्दोलन को उग्र कर दिया।

सचिवालय गोलीकाण्ड में शहीद सात महान बिहारी सपूत –

1. उमाकान्त प्रसाद सिंह – राम मोहन राय सेमीनरी स्कुल के 12 वीं के छात्र थे। इनके पिता राजकुमार सिंह थे। वह सारण जिले के नरेन्द्रपुर ग्राम के निवासी थे।
2. रामानन्द सिंह – ये राम मोहन राय सेमीनरी स्कुल के पटना के 11 वीं कक्षा के छात्र थे। इनके पिता लक्ष्मण सिंह थे। वे पटना जिले के शहादत नगर ग्राम के निवासी थें।
3. सतीश प्रसाद झा – सतीश प्रसाद का जन्म भागलपुर जिले के खडहरा में हुआ था इनके पिता जगदीश प्रसाद झा थे वे पटना कालेजिएट स्कुल के 11 वी. कक्षा के छात्र थे। सीवान थाना में फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव द्वारा राष्ट्रीय झंडा लहराने की कोशिश में पुलिस गोली का शिकार हुए।
4. जगपति कुमार – इस महान सपूत का जन्म गया जिल के खराठी गाँव में हुआ था।
5. देवीपद चौधरी – इस महान सपूत का जन्म सिलहर जिले के जमालपुर गाँव में हुआ था। वे मीलर हाई स्कुल के 9 वीं का छात्र था।
6. राजेन्द्र सिंह – इस महान सपूत का जन्म सारण जिले के बनवारी चक ग्राम में हुआ था वह पटना हाईस्कुल के 11वीं का छात्र था।
7. राम गोविन्द सिंह – इस महान सपूत का जन्म पटना जिले के दशरथ ग्राम में हुआ था। वह पुनपुन हाईस्कुल का 11 वीं का छात्र था।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस स्थान पर शहीदर स्मारक का निर्माण हुआ। इसका शिलान्यास स्वतंत्रता दिवस को बिहार के प्रथम राजयपाल जयराम दौलत राय के हाथों हुआ। औपचारिक अनावरण देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद ने 1956 ई0 में किया। भारत छोड़ो आन्दोलन के क्रम में बिहार में 15000 से अधिक व्यक्ति बन्दी बनाये गए। 8783 को सजा मिली एवं 134 मारें गए।

बिहार में भारत छोड़ो आन्दोलन को सरकार द्वारा बलपूर्वक दबाने का प्रयास किया गया जिसका परिणाम यह हुआ कि क्रांतिकारियों को गुप्त रूप से आन्दोलन चलाने पर बाध्य होना पड़ा।

1 नवम्बर 1942 दीपावली की रात में जयप्रकाश नारायण, रामनंदन मिश्र, योगेन्द्र शुक्ला, सूरज नारायण, सिंह इत्यादि व्यक्ति हजारीबाग जेल की दीवार फाँदकर भाग गए। सभी शैक्षिक संस्थान हड़ताल पर चले गये और राष्ट्रीय झण्डे लहराये गये। 11 अगस्त को विद्यार्थियों के एक जुलूस ने सचिवालय भवन के सामने विधायिका की इमारत पर राष्ट्रीय झंडा लहराने की कोशिश की। 30 जनवरी 1942 से 15 फरवरी 1942 तक पटना में रहकर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने सार्वजनिक सभा को सम्बोधित किया। बिहार में कांग्रेसी आश्रम खोलने का शीलभद्र याशी का विशेष योगदान रहा। 1935 ई0 का वर्ष कांग्रेस का स्वर्ण जयंती वर्ष था जो डॉ0 श्री कृष्ण सिंह की अध्यक्षता में धूमधाम से मानाया गया। जनवरी 1936 में छः वर्षो के प्रतिबंधों के बाद बिहार राजनीतिक सम्मेलन का 19 वॉ अधिवेशन पटना में अयोजित किया गया। 22 से 27 जनवरी के मध्य बिहार के 152 निर्वाचन मण्डल क्षेत्रों में चुनाव सम्पन्न हुए। कांग्रेस ने 107 से 98 जीते। 17–18 मार्च को दिल्ली में कांग्रेस बैठक के बाद बिहार में कांग्रेस मंत्रीमण्डल का गठन हुआ।

पूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव – जवाहर लाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का 29–31 दिसंमर 1929 का लाहौर अधीवेशन में पूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। बिहार कांग्रेस कार्यसमिति की 20 जनवरी 1930 को पटना में एक बैठक आयोजित की गई 26 जनवरी 1930 को सभी जगह स्वतंत्रता दिवस मनाने के निश्चित किया और मनाया गया।

12 मार्च 1930 को माहात्मा गाँधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आन्दोलन का आरंभ नमक कानून तोड़ने के साथ शुरू हुआ। 26 जनवरी 1930 को बिहार में स्वाधीनता मनाने के उपरान्त 12 मार्च को गाँधी जी की डांडी यात्रा शुरू हुई थी। बिहार में नमक सत्याग्रह का प्रारंभ 15 अप्रैल 1930 चम्पारण एवं सारण जिलों में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर किया गया। पटना में 16 अप्रैल 1930 को नरवासपिण्ड नामक स्थान दरभंगा में सत्यनारायण सिंह, मुंगेर में श्री कृष्ण सिंह ने नमक कानून को तोड़ा।

4 मई 1930 को गाँधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके विरोध में पूरे बिहार में विरोध प्रदर्शन किया गया। मई 1930 ई0 में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमिटी ने विदेशी वस्त्रों एवं शराब की दुकानों के आगे धरने का प्रस्ताव किया। इसी आन्दोलन के क्रम में बिहार में चौकीदारी कर देना बन्द कर दिया गया। स्वदेशी वस्त्रों की मांग पर छपरा जिले में कैदियों ने नंगा रहने का निर्णय किया। इसे नंगी हड़ताल के नाम से जाना जाता है।

साइमन कमीशन वापस जाओं आन्दोलन – 1927 ई0 में ब्रिटिश संसद एवं भारतीय वायसराम लार्ड डरविन ने एक घोषणा की भारत में फैल रही नौराश्य स्थिति की समाप्ति हेतु 1928 ई0 में एक कमीशन की स्थापना की घोषण की। इस कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, अतः इसे साइमन कमीशन कहा जाता है।

18 दिसंबर 1928 को साइमन कमीशन बिहार आया। हार्डिंग पार्क (पटना) के सामने बने विशेष प्लेटफार्म के सामने 30,000 राष्ट्रवादियों ने साइमन वापस जाओं के नारों से स्वागत किया गया। साइमन कमीशन विरोध के बाद लखनऊ में पंडित जवाहर लाल एवं लाहौर में लाला लाजपत राय पर लाठियाँ बरसाई गयी। लाठी की चोट से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गयी। फलतः विद्रोह पूरे देश में फैल गया। कमीशन के विरोध में बिहार में राजेन्द्र प्रसाद ने इसकी अध्यक्षता की थी। बिहार राष्ट्रवादियों ने नारा दिया कि ''जवानों सवेरा हुआ साइमन भगाने का बेरा हुआ''। विरोधी नेताओं में ब्रजकिशोर जी, रामदयालु जी एवं अनुग्रह नारायण बाबू थें। इस घटना ने बिहार के लिए नई चेनता पैदा कर दीं 1929 ई0 में सर्वदलीय सम्मेलन हुआ जिसमें भारत के लिए संविधान बनाने के लिए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति बनी जिसे नेहरू रिपोर्ट कहते है। पटना में दानापुर रोड बना राष्ट्रीय पाठशाला भी खुली। एक मियॉ खैरूद्दीन के मकान के छात्रों को पढ़ाना शुरू किया गया। बाद में यही जगह सदाकत आश्रम के रूप में बदल गया। बिहार में 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल हुई। गया, छपरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर आदि स्थानों पर हड़ताल का व्यापक असर पड़ा। 11 अप्रैल 1919 को पटना में एक जनसभा का आयोजन किया जिसमें गाँधी जी की गिरफ्तारी का विरोध किया गया।

असहयोग आन्दोलन के क्रम में मजरूलहक, राजेन्द्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, ब्रजकिशोर प्रसाद, मोहम्मद शफी और अन्य नेताओं ने विधायिका के चुनाव से अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। छात्रों को वैकल्पिक शिक्षा पदान करने के लिए पटना – गया रोड पर एक राष्ट्रीय महाविद्यालय के ही प्रांगण में बिहार विद्यापीठ का उद्घाघाटन 6 फरवरी 1921 को गाँधी जी द्वारा किया गया। 20 सितंबर 1921 से मजहरूल हक ने सदाकत आश्रम से ही 'मदरलैण्ड' नामक अखबार निकालना शुरू किया इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय भावना के प्रचार–प्रसार एवं हिन्दू–मस्लिम एकता को स्थापना करना था। भारत के पत्रकार मूलतः जनता का प्रतिनिधि मानकर पत्रकारिता के क्षेत्र में आए थे। यदि सही ढ़ंग से ऑका जाए तो स्वतंत्रता की पृष्ठभूमि पत्रों एवं पत्रकों ने ही तैयार की, जो आगे चलकर राजनेताओं एवं स्वतंत्रता संग्रामियों को पहले पत्रकार बनने के लिए प्रेरित किया। पं0 बालगंगाधर तिलक, लालालाजपत राय, महात्मा गाँधी, जवाहर लाल नेहरू, एवं डॉ0 राजेद्र प्रसाद आदि सभी पत्रकारिता से संबद्ध रहे।

कांग्रेस भी जब दो विचारों में विभाजित हुई, उस समय भी गरमदल का दिशा–निर्देश 'भारत मित्र', 'अम्युदय'', प्रताप', 'केसरी' एवं रणमेरी' आदि पत्रों ने किया तथा नरमदल का 'बिहार बन्धु' 'नागरीनिरंद्', मतवाला 'हिमालय' एवं 'जागरण' ने किया।

भारतेंन्दु युग मात्र साहित्यिक युग ही नहीं, अपितु स्वतंत्रता एवं राष्ट्रीय जागरण का युगबोध कराने वाला युगदृष्टा का युग थां। बुद्धिजीवी ऋषियों की मौन साधना, तपस्या और त्याग इतिहास की धरोहर है, जिसे मात्र साहित्य तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए बल्कि स्वतंत्रता की बलिवेदी पर आहूति करनेवालो को श्रृखंलाबद्ध समुह के रूप में भी माना जाना चाहिए।

तकनीकी रूप से पारंभिक पत्रकार स्वयं रिपोर्टर, लेखक, लिपिक, प्रूफरीडर, पैकर, प्रिंटर, संपादक एवं वितरक भी थे। क्रुरता, अन्याय, क्षोभ विरोध क्लेश, संज्ञास एवं गतिरोध उनकी दिन चर्चा थी, फिर वे अटल थे, अडिग थे, क्योंकि उनके समक्ष एक लक्ष्य था। वे देश भक्त थे। देश भक्त के समक्ष सभी अवरोधों, प्रतिरोधो एवं बाधक विचारों का खंडन उनका उद्देश्य था। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार की दमनात्मक निनियों के समक्ष सरकारी सहायता कौन कहें, साधारण सहिष्णुता भी उपलब्ध नहीं आज सर्वत्र दृष्टव्य है। भले ही इनकी दिशा विहिनता के कारण उन आदर्शो के निकट नहीं है। उस समय न नियमित पाठक थे, न नियमित प्रेस अथवा प्रकाशन। मुद्रण के लिए दूसरे प्रेसो पर निर्भर रहना पड़ता था ताकि कुछ अंक निकल जाए। ग्राहक और पाठकों की स्थिति यह थी कि महिनों महिना पत्र मंगाते थे और पैसा मांगने पर वे वापस कर देते थें ऐसी स्थिति में प्रायः सभी पत्र–पत्रिकाओं में प्रार्थना, तगादा, चेतावनी और धमकियों के लिए कतिपय शीर्षकों में प्रकाशन होता था जैसे इसे भी पढ़ ले विज्ञापन एवं सूचना के रूप में आदि–आदि।

निःसंदेह हिन्दी का सर्वप्रथम समाचार पत्र 'उदंड मार्तड' 30 मई 1826 को कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था, जिसके संचालक पं0 युगलकिशोर थे एवं सन् 1891 को गोरखपुर से मुद्रित 'विद्या धर्म दीपिका' भारत वर्ष की सर्वप्रथम निःशुल्क प्रत्रिका थी किन्तु आंग्ल महाप्रभुवों के प्रभाव में चल रहे पाठकों के अभाव में यह पत्रिका भी अनियमित होते–होते काल–कवलित हो गयी। भारत वर्ष की पत्रकारिता इसी पृष्ठभूमि में 18 वीं सदी के उतरार्द्ध में अंकुरित हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापनोपरांत कई स्वतंत्र व्यापारी भी यहाँ प्रवेश पा चुके थे। ये व्यापारी भारतीय जन जीवन के साथ अपनत्व स्थापित कर स्वतंत्र पत्र–पत्रिका निकालने को तत्पर हुए। बिलियम बोल्टस प्रथम व्यापारी था जिसने 1764 में प्रथम विज्ञापन प्रसारित किया कि कंपनी शासकों की गतिविधियों से जन सामान्य को अवगत कराने के

लिए वह पत्र निकालना चाहता है। कंपनी इस विज्ञापन को पढ़ते ही उसे देश निर्वासित कर इंगलैण्ड वापस भेज दिया। अंग्रेजो का पत्र, पत्रिकाओं, पत्रकारों एवं पत्रकारिता के खिलाफ दमन का श्रीगणेश यही से प्रारंभ हुआ किन्तु बोल्टस द्वारा लगाया हुआ बीज अंकुरित होकर अगस्टस हिकी के हाथों में आकर एक पत्र के रूप में प्रस्फुटित हो गया जिसका नाम पडा 'बंगाल गजट एण्ड कलकत्ता जनरल एडवर टाइजर' जिसने 'हिकीगजट' के नाम से 1780 में प्रथम पत्र के रूप में जन्म लिया। वारेन हेस्टिंग्स उस समय भारत वर्ष का गर्वनर था, जो अपने अथवा अपने मंत्रीमण्डल के प्रतिकूल एक साधारण आलोचना भी बर्दास्त नहीं कर सकता था। हिक्की गजट इसका कटु आलोचक बन गया और फलस्वरूप 14 नवंबर 1780 को प्रथम दमनात्मक प्रहार के रूप में इस पत्रिका को जो डाक से भेजने की सुविधा प्राप्त थी, उसे छीन ली गयी। आलोचना तीव्रतर बढ़ती गयी, जिसके चलते जेम्स अगस्टस को कारगार मे डाल दिया गया और अंततः उसे देश से निर्वासित कर दिया गया इसी श्रृखंला में एक दूसरे पत्रकार विलियम हुआनी को भी निर्वासित किया गया। अन्य प्रदेशों से भी जो पत्र निकलते थे उनके लिए सरकार से लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य किया गया। मद्रास से 'इफ्रेस' ने बिना लाइसेंस प्राप्त किए 'इंडिया हेराल्ड' निकालना प्रारंभ कर दिया। इसके लिए इनको कानूनी कार्रवाई के तहत गिरफ्तार किया गया और अंत में इन्हें भी निर्वासित कर इंग्लैण्ड भेज दिया गया।

प्रेस संबंधी प्रथम कानून – 18 वीं0 शताब्दी के अंत तक लगभग 20–25 अंग्रेजी पत्रों का प्रकाशन हो चुका था जिसमें प्रमुख थे बम्बे हेराल्ड, बॉम्बे कैरियर, बंगाल हराकारू, कलकत्ता कैरियर मार्निंग पोस्ट, ओरिएण्ट स्टार, इंडिया गजट तथा एशियाटिक मिरर आदिं पत्र–पत्रिकाओं की उत्तरोत्तर वृद्धि अंग्रेजों की दमनात्मक कार्रवाइयों को भी उसी अनुपात में बढ़ाने के लिए वाध्य करती गई। सन् 1799 में लार्ड वेलसली ने प्रेस संबंधी प्रथम कानून बनाया कि पत्र प्रकाशन के पूर्व समाचारों को सेंसर करना अनिवार्य है तथा अन्य शर्त्ते इस तरह लागू कर दी गई।

- (क) पत्र के अंत में मुद्रक का नाम एवं पता स्पष्ट रूप से छापा जाए।
- (ख) पत्र के मालिक एवं संपादक का नाम पता एवं आवास का पूर्ण विवरण सरकारी सेक्रेटरी को दिया जाए।
- (ग) सेक्रेटरी के देखे बिना कोई पाठ्य सामग्री छापी नही जाए एवं
- (घ) प्रकाशन रविवार को बंद रखा जाए।

अब तक के सभी पत्र अंग्रेजी भाषा मे प्रकाशित हो रहे थे तथा सभी पत्रों के संपादक भी अंग्रेज थे, फिर भी विरोधात्मक स्थिति में केवल इन्हे निर्वासित कर देना ही प्रार्याप्त दण्ड माना जाता था। बाद में सरकार के किसी कार्य पर टीका–टिप्पणी करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया जो वेलेसली से लार्ड मिंटो तक चला। भारतीय पत्रकारिता इसे बेहद दुष्प्रभावित हुई। लार्ड हेस्टिंग्स के गर्वनर जनरल बनते ही उपयुक्त शर्त्तो में ढ़ील बरती गई। जिसके अन्तर्गत प्रकाशन के पूर्व सेंसर की प्रथा समाप्त करते हुए रविवार को प्रकाशन प्रतिबंध समाप्त कर निम्न आदेश जारी किए गए :–

- सरकारी आचरण पर आक्षेप लगाने वाला समाचार नहीं छापा जाए।
- भारत वासियों के मन में शंका उत्पन्न करने वाला समाचार नहीं छापा जाए।
- धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाए।
- ब्रिटिश सरकार की प्रतिष्ठा पर ऑच आनेवाला समाचार नहीं छापा जाए।
- व्यक्तिगत दुराचार विषयक कोई चर्चा पत्रों में नहीं किया जाए।

भारतीय भाषाओं के सामाचार पत्र :–

इन शर्त्तो के बावजूद हेस्टिंग्स का रवैया उदारवादी था, इसलिए इनका पालन सख्ती से नहीं हो पाया फलतः भारतीय भाषाओं में भी पत्र प्रकाशित होने लगे। इनमें प्रमुख पत्र थें – कलकत्ता जर्नल, बंगाल गजट, दिग्दर्शन, फ्रेंड ऑफ इंडिया, संवाद कैमुदिनी सबसे उग्र थे, क्योंकि उस समय भारतीय जीवन के अग्रदूत के रूप में राजाराम मोहन राय नेतृत्व कर रहे थें।

हेस्टिंग्स के अवकाश ग्रहण के बाद तथा जॉन आडम के नए गर्वनर जनरल के रूप में आते ही, पत्रों की स्वतंत्रता पुनः समाप्त हो गई और 4 अप्रैल 1823 को प्रेस संबंधी नए कानूनों द्वारा ये प्रतिबद्ध फिर लगा दिए गए।

- कोई व्यक्ति अथवा व्यक्ति समुह सरकारी स्वीकृति के बिना फोर्ट बिलियम के आबादी वाले क्षेत्रों में कोई समाचार पत्र, पत्रिका विज्ञप्ति अथवा पुस्तक किसी भाषा में प्रकाशित नहीं करेंगा, जिस पर सरकारी नीति एवं कार्य पद्वति पर टीका–टिप्पणी हो।
- लाइसेंस प्राप्ति के लिए जो आवेदन पत्र दिए जाए उसके साथ ही शपथ–पत्र भी दिए जाए, जिसमें पत्र पत्रिका, पुस्तक, मुद्रक, प्रकाशक एवं प्रेस मालिक का पूर्ण विवरण सहित विवरण भवन भी दिया जाए, जहाँ से प्रकाशन होगा।
- बिना लाइसेंस प्राप्त किए पत्र प्रकाशित पाए जाने पर प्रकाशक को चार सौ रूपया जुर्माना अथवा चार महीना कैद की सजा दी जाएगी।
- छापारवाने के लिए भी लाइसेंस अनिवार्य बनाया गा। बिना लाइसेंस के छापारवाने को जब्त कर मालिक को छह माह का कारावास एवं एक सौ रूपया का जुर्माना होगा।
- जिस पत्र का प्रकाशन रोका गया है उसके वितरक को भी एक हजार रूपया जुर्माना तथा दो माह का कारावास का दंड होगा।

इन प्रतिबंधो का पूरे देश में घोर विरोध किया गया। सन् 1828 में बिलियम बेंटिक के गर्वनर जनरल का प्रभार लेते ही उपयुक्त कानून हटाए तो नहीं गए, किन्तु क्रियान्यवन में उदारता बरती गई।

इस प्रकार प्रथम स्वतंत्रता सं ग्राम के लिए पूरे भारत वर्ष में पत्र, पत्रकारों एवं पत्रकारिता का चैतन्य पूर्ण परिवेश सृजित हो गया।

इसके बाद 1935 में भारतीय प्रशासन कांग्रेस के हाथों में आ गया और फलतः समाचार पत्रों कों स्वतंत्रता प्राप्त हुई। सन् 1939 में द्वितीय युद्ध प्रारंभ होते ही कांग्रेस सरकार को पदत्याग करना पड़ा और पत्रों की स्वतंत्रता पुनः नष्ट हो गई जो 1947 तक चली। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1950 में नया कानून बना जिसके द्वारा लगभग सभी प्रतिरोध समाप्त कर दिए गए।

निष्कर्ष

प्रस्तुत विवरण में भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन में पूरे देश के युवा, राजनेता, सेनानियों, गरमदलीय तथा नरमदलीय क्रांतिकारी, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, संपादकों तथा प्रकाशनों का अहम भूमिका रहा है। जिन्हें युगों–युगान्तर तक देश का हर नागरिक, याद करते रहेंगे। शायद ये सभी महापुरूष अपनी जान न गवाए होते तो आज भी हम अंग्रेजो के गुलाम ही होते।

संदर्भ

1. दि इंग्लिश वर्क्स ऑफ राजाराम मोहन राय, जे0 सी0 घोष द्वारा संपादित, जिल्द 2 (कलकत्ता, एस0 के0 लाहिड़ी एण्ड कंपनी 1901), पृ0 286
2. एम बार्न्स उद्धत पृ0 251, बम्बई के गवर्नर लार्ड एलफिन्स्टन की टिप्पणी से 24 जून 1857.
3. दि कलकत्ता रिव्यू 1877, पृ0 3645,–65
4. स्टेटमेंट एक्जिबिटिंग मारल एण्ड मेटीरियल प्रोग्रेस एण्ड कंडिशन ऑफ इंडिया 1871–72, पृ0 118
5. सर ए0 क्रौफ्ट शिक्षा निदेशक, रिव्यू ऑफ एजूकेशन एण्ड इंडिया इन 1886 पृ0 4
6. कलकत्ता रिव्यू जिल्द 65, 1877 पृ0 388
7. दि फ्रेंड ऑफ इंडिया 20 दिसम्बर, 1840
8. ब्रिटिश भारत की शिक्षा पद्धति, फरवरी 1882 पृ0 31–71